भारत के उप -राष्ट्रपति का सचिवालय
SECRETARIAT OF THE VICE- PRESIDENT OF INDIA
नई दिल्ली -110001 (भारत)
NEW DELHI – 110001 (INDIA)

फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/57/2024-2025 **23 जनवरी, 2024**

सेवा में,

श्री बिनोद कुमार सिंह
ग्राम मदारपुर, पोस्ट-जट डुमरी
पुनपुन, जिला-पटना
बिहार-804453

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

उक्त विषय में कृपया आपने दिनांक 23.12.2024 का पत्र जो इस सचिवालय में 28.12.2024 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ 10 रूपये का पो॰आ॰सं॰ 65एफ 512989 संलग्न कर अपने आवेदन पर की गई कार्रवाही की जानकारी चाही है।

इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है किया जाता है कि आपका दिनांक 30.05.2024 का आवेदन दिनांक 18.06.2024 को इस सचिवालय में प्राप्त हुआ। जो की इस सचिवालय से संबधित नहीं था। जिसे फाइल कर दिया गया है जिसकी कोई पावती नहीं दी जाती।

अतः आपको परामर्श है कि आप इस विषय में सीधे संबन्धित राज्य/मंत्रालय/विभाग से संपर्क करें।

सरिता

(सरिता चौहान)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

RTI - 57
GSF - 512985

प्रपत्र 'क'

(नियम – 3 (1) देखें)

सुचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

आई.डी.सं. ....

Vice President's Secretariat
Dy. No. 398
Date 28.12.24
New Delhi

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी, उप-राष्ट्रपति का सचिवालय
(विभाग / कार्यालय) भारत, नई दिल्ली - 110001

विषय : सूचना के अधिकार – 2005 के तहत् सूचना प्राप्ति के लिए।

महाशय,

सूचना के अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत मुझे निम्नलिखित सूचनाएँ बिंदुवार प्रदान करें।

दिनांक :– 18.12.2024 के संलंग्न पत्र के संबंध में निम्न सूचनाएं दें :–

1. मेरे आवेदन पर की गई कार्रवाई, जारी आदेश – निर्देश की अभिप्रमाणित प्रति दें।

2. पुनपुन थाना काण्ड सं0 – 402 / 2024 मे अंकित आरोपितों की गिरप्तारी, कुर्की, वारण्ट के संबंध में कृत कार्रवाई की अभिप्रमाणित प्रति के साथ जानकारी दें।

संलंग्न :– 18.12.2024 की पत्र की छाया प्रति ।

इस आवेदन के साथ 10/– रू. का नगद राशि / बैंक ड्राप्ट / बैंकर्स चेक / पोस्टल ऑडर / बी.पी.एल कार्ड. जिसकी सं0 65F/512989 दिनांक 20.12.24 है। जमा की जा रही है। कृपया पावती देने का कष्ट करें।

अवेदनकर्त्ता : बिनोद कुमार सिंह

हस्ताक्षर Binod Kumar Singh

पता : पिता – स्व0 राजेन्द्र प्रसाद सिंह

दिनांक 23/12/2024

ग्राम – मदारपुर, पोस्ट – जट् डुमरी

दूरभाष ....

थाना – पुनपुन, जिला – पटना

मोबाईल ....

बिहार – 804453

8/C

"आप सभी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एवं इस देश के सभी सक्षम पदाधिकारी गण से हाथ जोडकर निवेदन है कि इस पत्र को पुरा पढने का कष्ट करें, यदि आप ऐसा नहीं करते है, तो मेरी मृत्यू नजदीक है।"

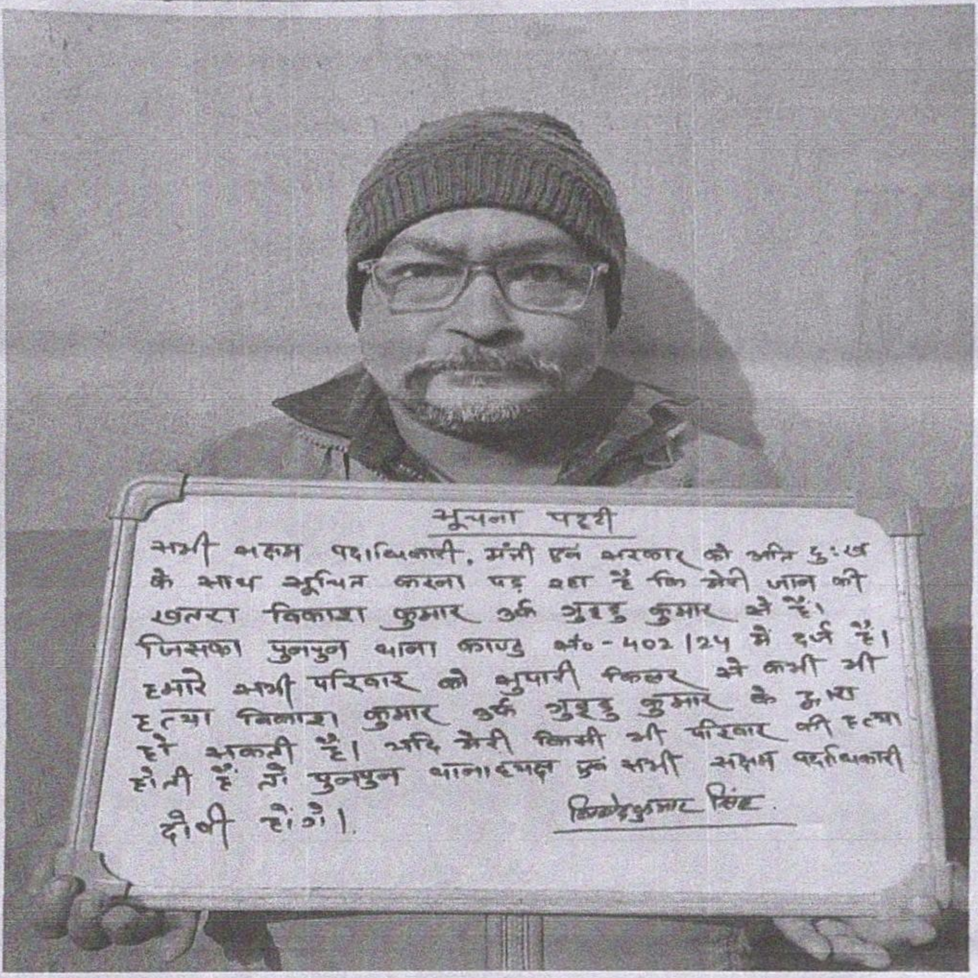

यह कि पुनपुन थाना काण्ड सं0 – 402/2024 में अंकित अपराधी गण विकाश कुमार उर्फ गुड्डु कुमार और इनकी माँ स्वयं या सुपारी किलर के द्वारा हम सब परिवार की और हमारे बड़े भाई की कभी भी हत्या कर वो करवा सकता हैं। यदि हत्या होती है तो पुनपुन थाना के थानाध्यक्ष , अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधिक्षक एवं समस्त सक्षम वरिष्ठ अधिकारीगण इसके जवाबदेह एवं दोषी होगें। सभी अधिकारी गण से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि पुनपुन थाना काण्ड सं0 – 402/2024 में अंकित अपराधी गण को जल्द से जल्द Arrest (गिरप्तार) करें । इसके साथ **शुल्क के रूप में रू0 50/– के Indian Non Judicial स्टाम्प पेपर पर जीवन रक्षार्थ & न्यायार्थ दर्द भरी अपना प्रार्थना पत्र (आपातकाल अनुस्मारक पत्र सं0 – 04) भेज रहा हूँ** जिसमें पुरा ब्योरा दिया हुआ है। कृपया स्वीकार करें।

संलंग्न :– आवेदन पत्र, अनुलग्नक सहित

प्रार्थी

दिनांक :– 18.12.2024

Binod Kumar Singh

(विनोद कुमार सिंह)

Prohibition Excise & Registration Department, Government of Bihar

INDIA NON JUDICIAL

Other

First Party Name *	: Not Applicable
Second Party Name *	: VINOD KUMAR SINGH
Purchased By *	: VINOD KUMAR SINGH
Certificate Number	: BR03815654173408605968 4
Consideration Price	: ₹0.00/-
Stamp Duty Paid	: ₹50.00/-
Registration Fee & Other Fees	: ₹0.00/-
LLR & Proc Fee	: ₹0.00/-
Miscellaneous Fees	: ₹0.00/-
Discore SC	: ₹0.00/-
Total Amount	: ₹50.00/- (Fifty)

------- This stamp paper will only be valid if embossed below with special RED ink impression -------

Phone No:
Sold To/Issued To:
VINOD KUMAR SINGH
For Whom/ID Proof:
VINOD KUMAR SINGH

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
D S R OFFICE
PATNA SADAR
800001
BIHAR
बिहार
सत्यमेव जयते
भारतीय गैर न्यायिक

DEC-13-2024 16:12:11
₹ 0000050/-
ZERO ZERO ZERO ZERO ZERO FIVE ZERO
Other
38162041734108331190-00097173
3816204 0869

Emergency Reminder Letter (आपतकाल अनुस्मारक पत्र)

जीवन रक्षार्थ अनुस्मारक पत्र – 04

सेवा में,

1. माननीय महामहिम राष्ट्रपति
   भारत
   राष्ट्रपति भवन
   रायसीना हिल, नई दिल्ली
   नई दिल्ली – 110001
2. माननीय उप – राष्ट्रपति
   उप – राष्ट्रपति निवास
   6 – मौलाना आजाद रोड,
   नई दिल्ली – 110001
3. श्रीमान् मुख्य न्यायाधीश
   सर्वोच्च न्यायालय
   तिलक मार्ग, मण्डी हाउस
   नई दिल्ली – 110001

Binod Kumar Singh
18/12/24

4. माननीय अध्यक्ष महोदय
   भारतीय लोक सभा
   32, ससंद भवन
   नई दिल्ली – 110001
5. माननीय सभापति महोदय
   भारतीय राज्यसभा
   32, संसद भवन
   नई दिल्ली – 110001
6. माननीय प्रधानमंत्री
   भारत
   07, लोक कल्याण मार्ग
   नई दिल्ली – 110001
7. माननीय मंत्री
   गृह मंत्रालय
   भारत सरकार
   नार्थ ब्लॉक
   केन्द्रीय सचिवालय
   नई दिल्ली – 110001
8. माननीय मंत्री
   स्वतंत्र प्रभार
   प्रधानमंत्री कार्यालय
   साउथ ब्लॉक
   रायसीना हिल
   नई दिल्ली – 110011
9. माननीय मंत्री
   कानून एवं न्याय मंत्रालय
   शास्त्री भवन, ए – विंग,
   डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद रोड
   नई दिल्ली – 110001
10. माननीय राज्यमंत्री
   कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
   भारत सरकार
   साउथ ब्लॉक, रायसिना हिल,
   नई दिल्ली – 110011
11. श्रीमान् सचिव
   कैबिनेट मंत्रालय, भारत सरकार
   कैबिनेट सचिवालय
   रायसीना हिल, नई दिल्ली – 110001
12. श्रीमान् निदेशक
   लोक शिकायत निवारण निदेशालय
   भारत सरकार
   कैबिनेट सचिवालय
   नई दिल्ली – 110001

Binod Kumar Singh
18/12/24

13. श्रीमान् निदेशक
सी0बी0आई0 निदेशालय
प्लॉट सं0 – 5 – B, 6th तल्ला
सी0जी0ओ0 कम्पलेक्स
लोधी रोड, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मार्ग
नई दिल्ली – 110003 (भारत)

14. श्रीमान् निदेशक
इंटेलिजेन्स ब्यूरो (आई0बी0)
सरदार पटेल मार्ग
नई दिल्ली – 110021

15. माननीय अध्यक्ष महोदय
बिहार विधान सभा
हार्डिंग रोड, सतमूर्ति, पटना
बिहार – 800015

16. माननीय सभापति महोदय
बिहार विधान परिषद्
पटना (बिहार) – 800015

17. माननीय राज्यपाल महोदय
बिहार
राजभवन, पटना
पटना – 800022

18. माननीय मुख्यमंत्री
बिहार
पटना – 800015

19. श्रीमान् विजय कुमार सिन्हा
माननीय उप – मुख्यमंत्री
बिहार, पटना – 800015

20. श्रीमान् मुख्य सचिव
बिहार सरकार
पटना – 800015

21. श्रीमान् प्रधान सचिव
मुख्यमंत्री, बिहार सरकार, पटना – 800001

22. श्रीमान् प्रधान सचिव
मंत्रिमण्डल विभाग,
बिहार सरकार,
पटना – 800015

23. श्रीमान् प्रधान सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना – 800015

24. श्रीमान् अपर मुख्य सचिव
गृह विभाग, बिहार सरकार,
पटना – 800023

Binod Kumar Singh
18/12/24

25.श्रीमान् पुलिस महानिदेशक
बिहार पुलिस मुख्यालय
पटना – 800023

26.श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक
विधि एवं व्यवस्था, बिहार पुलिस
बिहार सरकार, पटना – 800023

27.श्रीमान् अपर मुख्य सचिव
निगरानी विभाग
बिहार सरकार
सूचना भवन, 4th तल्ला
पटना (बिहार) – 800015

28.श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक
आर्थिक अपराध इकाई, बिहार
बेली रोड, पटना – 800001

29.श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक
सी0आई0डी0 विभाग
बिहार सरकार
पटना – 800023

30.श्रीमान् आयुक्त
पटना प्रमण्डल, पटना
पटना – 800001 (बिहार)

31.श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक
केन्द्रीय क्षेत्र, पटना
पटना – 800001 (बिहार)

32.श्रीमान् जिलाधिकारी
पटना – 800001

33.श्रीमान् वरीय पुलिस अधीक्षक
पटना
पटना – 800001

34.श्रीमान् नगर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी
पटना पूर्वी, पटना
पटना – 800001

35.श्रीमान् अनुमण्डलाधिकारी
मसौढ़ी अनुमण्डल
मसौढ़ी (पटना) – 804452

36.श्रीमान् अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी
सह
सहायक पुलिस अधीक्षक
मसौढ़ी, पटना
पटना – 804452

37.श्रीमान् डी.एस.पी – 02
डी.एस.पी – 02
कार्यालय, पुनपुन (पटना) – 804453

Binod Kumar Singh
18/12/24

38. श्रीमान् पुलिस निरीक्षक
पुनपुन अंचल
पुनपुन (पटना) – 84453

39. श्रीमान् थानाध्यक्ष
पुनपुन थाना
पुनपुन (पटना)
बिहार – 804453

विषय :– बारंबार पत्राचार होने के बावजूद न्याय नहीं मिलने की हकिकत सच एवं तुरंत के प्रभाव से F.I.R में छुटे हुए धारा जोड़कर F.I.R में अंकित आरोपितों को गिरप्तार करने एवं उचित न्यायार्थ प्रार्थना पत्र एवं जीवन रक्षार्थ अनुस्मारक प्रार्थना पत्र – 04

संदर्भ :– पुनपुन थाना काण्ड सं0 – 402 / 2024, दिनांक – 04.12.2024, U/S – 126(2) / 115(2) / 318(4) / 316 / 351(2) / 352 / 308(2) / 127(2) B.N.S Act

प्रसंग :– 1. भारतीय संविधान की धारा – 14, 19, 21, 21 (क), 45, 47, 51 (क) & (ट) तथा 300 (क) का मेरे मामले में हनन।

मामला :– भय पूर्वक बिना कागज पढ़ाये ही जमीन की एकरारनामा पर बल पूर्वक हस्ताक्षर करने पर मजबुर कर हस्ताक्षर लेना, अपराधी षडयंत्र रचना, खतरनाक आयुधों से हमला करना, मृत्यू का भय देना एंव उत्पन्न करना। जान मारने एवं अपहरण करने की धमकी देना, न्यास भंग करना, छल – कपट करना, बेइमानी करना, गृह अतिचार करना, गंदी – भद्दी गाली देना, गलत केस में फसा देने की धमकी देने, ... इत्यादि अर्थात् BNS – 2023 के धारा 126(2) / 115(2) / 316(2) / 318(4) / 351(2) / 352 / 308(4) / 127(2) / 109(1) / 333 / 336(3)........... इत्यादि का मामला एवं **पुनपुन थाना में F.I.R NO – 402/2024 में अंकित अपराधियों को जल्द से जल्द गिरप्तार करना।**

महाशय,

सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि :–

1. यह कि पत्र में अंकित मामलों के संबंध में तथा बार – बार हो रही जान लेवा से रक्षार्थ के लिए दिनांक :– 05.09.2024, 26.09.2024, 22.10.2024, & 05.11.2024 के आवेदन के बाद भी अभी तक अपराधी बेखोफ विचरन करते हुए और गलत महौल बनाकर हमारी हत्या करवाने की षडयंत्र एवं षडयंत्रकारी द्वारा रची जा रही है। और पुलिस मुक दर्शक बनी हुई है।

➢ 05.11.2024 की पत्र के छाया प्रति संलंग्न। अनु0 – 01

Binod Kumar Singh
18/12/24

2. यह कि 05.09.2024 की F.I.R आवेदन देने के बाद लगभग 90 दिनों के बाद F.I.R पुनपुन थानाध्यक्ष के द्वारा होती है। जिसका F.I.R NO – 402/2024, दिनांक – 04.12.2024 है। F.I.R लगभग 90 दिनों के बाद होती है, फिर भी F.I.R सिर्फ खानापुर्ति होती हैं, क्योंकि F.I.R में B.N.S – 45(2) धारा लगाया जाता हैं, यह धारा न तो Definition Act है। और न ही कोई पैनल एक्ट है। सिर्फ B.N.S – 45 धारा हैं जो I.P.C – 107 है। जो NON F.I.R Act है। B.N.S – 316 - यह भी पैनल एक्ट नहीं है, यह भी परिभाषित एक्ट है।

➢ पुनपुन थानाध्यक्ष के द्वारा दर्ज F.I.R (F.I.R NO - 402/2024) की छाया प्रति। संलंग्न। अनु0 – 02

3. यह कि अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी – 2, का कार्यालय ज्ञापांक – 2238/अनु0, दिनांक – 28.11.2024 के पत्र के बाद मुझे 05.12.2024 को पुनपुन थाना, पटना के द्वारा पत्रांक – शून्य, दिनांक – शून्य, ह0 तिथि :– 05.12.2024 को R.T.I के तहत् सूचना उपलब्ध कराई जाती है। जिसमें आप स्पष्ट देख सेकते है, कि धारा 45(2), और 316 है। जो F.I.R में त्रुटि की प्रमाणिक पुष्टि करती है।

➢ पुनपुन थाना पत्र सं0 – शून्य, संलंग्न। अनु0 – 03 (क) & (ख)

4. यह कि F.I.R में गलत धाराऐं जोड़ने के बाद जब मैं 08.12.2024 को वरीय पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर शिकायत किया तो उसी F.I.R में सुधार किया गया 45(2) को 115(2) किया गया है। फिर भी F.I.R आवेदन के आलोक में छुटी हुई धारा को छोड़ ही दिया गया। **जो न्यायोचित नहीं है।**

➢ वरीय पदा0 को प्रेषित पत्र & Online F.I.R No - 402/2024, संलंग्न। अनु0 – 04 (क) & (ख)

5. यह कि न्यायार्थ पत्राचार करने के उपरान्त वरीय पदा0 पत्र में अंकित तथ्यों का गंभीरता से अवलोकन नहीं करते तथा स्वयं के स्तर से जाँच करने के बजाए निचले स्तर के पदा0 को स्थानांरतण कर देते हैं, या इसे लोक शिकायत निवारण पदा0 को प्रेषित कर देते है। **यहीं से प्रारंभ होता है, न्याय का दमन।**

लोक शिकायत निवारण का सच

यहाँ से लो0शि0नि0पदा0 सक्षम पदा0 से जवाब माँगते है, और लोक प्राधिकार ने जो जवाब दिया, उसी के आधार पर वाद को समाप्त कर देते हैं, वे न तो गहण अवलोकन करते हैं, और न ही पीड़ित का मूल समस्या की समाधन हेतू कोई कार्रवाई करते हैं।

Binod Kumar Singh
18/12/24

साक्ष्य & प्रमाण

अनन्य सं0 – 428118014092404566 में लोक प्राधिकार के प्रतिवेदन पर पीड़ित के समस्या की समाधान किए बिना ही वाद समाप्त कर दी गई है। जबकि लोक प्राधिकार का प्रतिवेदन शत् प्रतिशत् गलत था। जैसे :–

लोक प्राधिकार का कथन झुठा व गलत तथ्य

- ✦ माननीय न्यायालय पटना में वाद सं0 – 2846/2024 चल रहा है।

सच :–यह वाद नहीं हैं, यह जान की खतरा के कारण Information Petition था।

- ✦ B.N.S – 126 के अन्तर्गत् निरोधात्मक कार्रवाई हेतू अप्राथमिकी सं0 – 057/2024 के द्वारा प्रतिवेदन SDM को भेजा गया है।

सच :– यह भी संदेहास्पद तथ्य है, क्योंकि B.N.S 126 धारा अप्राथमिकी प्रतित नहीं होती है। यह IPC – 339 से लिया गया है। यह भी विदित हो की B.N.S 126 Defination Act है। न की पैनल एक्ट है।

> ➢ IPC vs B.N.S Act संलंग्नं। अनु0 – 05
>
> ➢ लो0शि0नि0पदा0 का आदेश & एवं Information Petition की छाया प्रति संलंग्न। अनु0 – 06 (क) & (ख)

लोक प्राधिकार का सच

- ❖ लोक प्राधिकार स्वयं जाँच न कर के वे निचले स्तर के पदा0 के जिम्में सौंप देते है। और निचले स्तर के पदाधिकारी के झुठी प्रतिवेदन को ही विना गहण परीक्षण के सही मानकर उसी झुठी प्रतिवेदन को लो0शि0नि0पदा0 को सौंप देते है।
- ❖ थाना स्तर से मनमानी तरीका से बिना तहकीकात के ही साक्ष्य विहिन गलत प्रतिवेदन वरीय पदाधिकारी को सौंप दिया जाता है।

> ➢ लो0शि0नि0 पदा0 के आदेश में लोक प्राधिकारी वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक – 1041, दिनांक – 05.10.2014 का अंकित झुठी तथ्य इसे अनु0 – 06 (क) पर देखा जाये।

Binod Kumar Singh
18/12/24

वरीय पदाधिकारी & थाना स्तर का कार्रवाई का सच

थाना स्तर से कार्रवाई में गरीब पीड़ित को काफी कठिनाई उत्पन्न होता है। गरीब पीड़ित को जैसे – तैसे पत्र देकर शांत कर देने का प्रचलन है।

- थाना स्तर से पूर्णतः झुठी तथ्य एवं साक्ष्य विहिन पत्र DR – 1022/24, Dated – 28.09.24 जो डी0एस0पी0 – 02 को प्रेषित की गई, और उसी पत्र को बिना गहण तहकीकात के ही SDPO – 2 द्वारा पत्रांक – 1645/अनु0, दिनांक – 07.10.2024 के मार्फत् पीड़ित को दे दिया गया। वरीय पदा0 गलत प्रतिवेदन को ही सही मान कर पीड़ित के दुःख दर्द को सुनी – अनसुनी कर दिए।

  - SDPO – 2 & थाना के गलत, झुठी, दिग्भ्रमित पत्र की छाया प्रति संलंग्न। अनु0 – 07 (क) & (ख)

नोट :– उपरोक्त गलत जाँच & प्रतिवेदन के विरूद्ध मेरे द्वारा पत्र देने के बाद भी हम पीड़ित के आवाज को अभी भी दबाया ही जा रहा है।

- मेरे द्वारा न्यायार्थ भेजी गई पत्र की छाया प्रति संलंग्न। अनु0 – 08

उपरोक्त साक्ष्य व प्रमाण स्पष्ट है कि वरीय पदा0 द्वारा पीडित पर ध्यान न देने के कारण ही पीडित न्याय के लिए भटकते रहते हैं या तो मौत के हवाले हो जाते हैं। इनकी दर्द कोई नहीं सुनता।

अब मैं Example से समाझने का प्रयास करता हूँ कि कैसे एक आम आदमी अनेको पत्रों लिखने के बाद जैसे : – दिनांक – 05.09.2024, 26.09.2024, 22.10.2024 & 05.11.2024 पत्रों के बाद भी न्याय नहीं मिला एवं 05.09.2024 के F.I.R आवेदन देने के बाद लगभग 90 दिनों के बाद F.I.R होती है। जिसका F.I.R NO – 402/2024 है। और उसके बाद भी F.I.R में त्रुटि होती है ? तथा क्यों सुसंगत धारा छोडा दिया जाता हैं ? और न्याय क्यों नहीं मिलता है ? और F.I.R होने के बाद भी गिरप्तारी क्यों नहीं होती है ? इसे समझाते है :–

Binod Kumar Singh
18/12/24

चित्र
पत्रों का खेल

राष्ट्रपति, उप – राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय	अध्यक्ष लोकसभा, सभापति राज्यसभा	प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, राज्यमंत्री कानून लोक शिकायत तथा पेशंन मंत्रालय	सचिव, कैबिनेट मंत्रालय	निदेशक लोक शिकायत निवारण निदेशालय, भारत सरकार, सी0बी0आई0 निदेशालय, इंटेलिजेन्स ब्यूरो (आई0बी0)	अध्यक्ष बिहार विधान सभा, सभापति बिहार विधान परिषद्, राज्यपाल, बिहार

माननीय मुख्यमंत्री बिहार, उप – मुख्यमंत्री बिहार, मुख्य सचिव बिहार सरकार

प्रधान सचिव मुख्यमंत्री बिहार सरकार, प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग बिहार सरकार, पुलिस महानिदेशक बिहार पुलिस मुख्यालय बिहार सरकार, अपर पुलिस महानिदेशक विधि एवं व्यवस्था बिहार पुलिस,

प्रमण्डल आयुक्त, जिलाधिकारी पटना, वरीय पुलिस अधीक्षक पटना,

पुलिस महानिरीक्षक केन्द्रीय क्षेत्र, पटना, नगर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी , पटना

अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी सह सहायक पुलिस अधीक्षक, मसौढ़ी, पटना

डी0एस0पी0 – 02 पुनपुन , पटना

पुलिस निरीक्षक, पुनपुन अंचल, पुनपुन पटना

थानाध्यक्ष, पुनपुन, पटना

यही खेल हैं राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का पत्र हो या कोई वरिष्ठ अधिकारी का पत्र सीधे थानाध्यक्ष को ही जाता है। उसके बाद कोई नहीं पुछता कि आपके साथ क्या हुआ है।

गुहार लगाते लगाते पीड़ित थक जाता है। हम सब पीड़ित परिवार की हत्या भी हो जायेगी या हो जाती है, तो भी अधिकारी गण को शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा ?

सवाल

पीड़ित कहाँ जाए ?

मैं यह समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि अनेकों पत्र लिखने के बाद भी अभी तक न्याय नहीं मिला क्योंकि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का पत्र हो या कोई वरिष्ठ अधिकारी का पत्र, सिधे थाना में आती है। कोई भी अधिकारी अपने पर जिम्मा नहीं लेते हैं। थाना के ही जाँच रिर्पोट को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। और थाना के रिर्पोट को ही सही मानकर न्याय का गाला घोट देते है। यदि ऐसे ही हाल रहा तो पुनपुन थाना वाद सं0 – 402/24 में अंकित अपराधी गण विकाश कुमार उर्फ गुड्डु कुमार और इनकी माँ के द्वारा हम सब परिवार का कभी भी

Binod Kumar Singh
18/12/24

हत्या हो सकती है। यदि हत्या होती हैं। तो राष्ट्रपति & प्रधानमंत्री से लेकर थानाध्यक्ष पुनपुन तक हत्या और अन्याय का जिम्मेदार होगें।

इसलिए थाना के अधिकारी हमेशा बोलते है कि लेटर कहीं भी दो आयेगा तो मेरे ही पास, इसीलिए इस देश में सबसे बड़ा कोई है तो थाना के अधिकारी गण।

6. यह कि जब से मैंने विकास कुमार उर्फ गुड्डु कुमार और इनकी माँ के खिलाफ F.I.R करवाया हूँ जब से विकास कुमार उर्फ गुड्डु कुमार और इनकी माँ हमको और बड़े भाई को सुपारी किलर से हत्या कराने के लिए साजिश रच रहे हैं। और इन दोनों के द्वारा गाँव में गलत अफवाह फैलाई जा रही है। हमारे बड़े भाई और उनके परिवार को भी हत्या करने का प्रयास कर रहे है, और गलत केस में फसाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे भाईयों में कब का बटवारा हो चुका है। वह हम लोग के साथ भी नहीं रहते हैं। और न ही गाँव पर रहते हैं। मैं अपने जमीन का खुद मालिक हूँ, मैं खुद विकास कुमार उर्फ गुड्डु कुमार से 02 कट्ठा जमीन बेचने की बात किया था। मगर विकाश कुमार और उनकी माँ छल से शायद हमसे 67 डी0 जमीन एग्रीमेन्ट करवा के हमसे पुरे 67 डी0 जमीन बिना पूर्ण भुगतान के ही रजिस्ट्री ले लिया। यह जान बुझकर ऐसा कर रहा ताकि हमारा 9832200 रू0/– वह हड़प लें। इसलिए वह हम सब परिवार को हत्या करना चाहता है।

- Self Declaration letter Dated :- 18.12.2024 की मूल प्रति संलग्न। अनु0 – 09
- शपथ पत्र सं0 – 480, VOL – 1, दिनांक – 16.12.2024 की छाया प्रति। अनु0 – 10

7. यह कि पुनपुन थाना के थानाध्यक्ष के द्वारा 90 दिनों के बाद F.I.R दर्ज करने के बाद भी विकास कुमार उर्फ गुड्डु कुमार के द्वारा अत्याचार, धमकी, गाली गलौज, और सुपारी किलर से हत्या करने का प्रयास यदि नहीं रूकता है तो हम सब परिवार का कभी भी हत्या हो सकती हैं। यदि हत्या होती तो विकास कुमार उर्फ गुड्डु कुमार और उनकी माँ दोषी होगी, और सांथ – साथ पुनपुन थाना के थानाध्यक्ष, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी – 2, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना एवं समस्त सक्षम पदाधिकारी

Binod Kumar Singh
18/12/24